(वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा)

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित :24.08.2021
निर्णय घोषित: 27.08.2021

\+ ज़मानत अर्ज़ी 2738/2021

मुद्दसिर नाज़िर भट .... याचिकाकर्ता
द्वारा: श्री त्रिबिंध कुमार, अधिवक्ता

बनाम

राज्य .....प्रत्यर्थी
द्वारा: डॉ. एम.पी. सिंह, राज्य के अति. लो. अभि. के साथ मुकेश कुमार, उपनिरीक्षक, पुलिस थाना वसंत कुंज दक्षिण

ज़मानत अर्ज़ी 2264/2021

मंजीत कुमार @रोनी ... याचिकाकर्ता
द्वारा: श्री कमल कात्यान, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) ...प्रत्यर्थी
द्वारा: डॉ. एम.पी. सिंह, राज्य के अति. लो. अभि. के साथ मुकेश कुमार, उपनिरीक्षक, पुलिस थाना वसंत कुंज दक्षिण

कोरम:
माननीय न्यायाधीश श्री रजनीश भटनागर

आदेश

न्या.,रजनीश भटनागर

1. इस आदेश के माध्यम से, मैं उपरोक्त दो जमानत आवेदनों का निपटान करूंगा जो उपरोक्त याचीगण द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत दायर किए गए है जिसमें पुलिस थाना वसंत कुंज दक्षिण, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 395/411/419/452/34/120 बी के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी सं. 144/2021, दिनांक 27.03.2021 में नियमित जमानत की मांग की गई है ।

2. संक्षेप में कहा गया है, मामले के तथ्य यह हैं कि दिनांक 16.03.2021 को डीडी सं.43 ए के तहत एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें चार पांच संदिग्ध व्यक्तियों ने खुद को पुलिस अधिकारी होने का दावा किया था, उन्होंने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक लॉक को तोड़ दिया है और IYEO प्रौद्योगिकी घिटोरनी, नई दिल्ली के कार्यालय में प्रवेश किया है और वहां से कई सामान उठाए हैं।प्रारंभिक जांच की गई और शिकायतकर्ता श्री मुकेश महतो पुत्र श्री महतो आर/ओ नंबर 35, भाई मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, कैनेरा बैंक, घिटोरनी, नई दिल्ली का बयान प्राप्त करने के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 392/419/34 के अंतर्गत प्राथमिकी सं. 144/2021 दिनांक 27.03.2021 और जांच शुरू की गई।

3. जांच के दौरान IYEO प्रौद्योगिकी के मालिक सुशांत राज जांच में शामिल हुए और उन्होंने सूचित किया कि उनकी विभिन्न वस्तुएं यानी I-Pad, I-pencil तीन लैपटॉप, तीन घड़ी, लेंस के साथ DSLR कैमरा, DVR, राउटर, कपड़े आदि को कथित व्यक्तियों द्वारा उनके परिसर से लूट लिया गया है।उन्होंने आगे बताया कि लूटी गई वस्तुओं को वापस करने के एवज में पैसे मांगने के संबंध में व्हाइटस ऐप चैट नंबर 9827454166 के माध्यम से मोहित नाम के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया है। सुशांत राज द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नंबर का पता लगाया गया और कथित स्मित कुमार पुत्र प्रवीण कुमार निवासी 1554 (Old 1675), 3 Floor, सेक्टर-46, मेन रोड गुरुग्राम, हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया गया। कथित स्मित से उपर्युक्त मोबाइल बरामद किया गया है। उसी को ज़ब्त ज्ञापन के माध्यम से पुलिस के कब्जे में ले लिया गया।

4. इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सूचना के आधार पर, अन्य सभी सह-अभियुक्तों अर्थात् (1) रघुविंदर कुंडू, (ii) संजय कपूर @रयान, (iii) याचिकाकर्ता मंजीत कुमार @रोनी, (iv) सौरभ भाटिया और (v) याचिकाकर्ता मुद्दसिर @मैडी को इस मामले में पकड़ा गया और गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों के इंकशाफ बयान दर्ज किए गए और उन्होंने इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली।

5. याचिकाकर्ता मंजीत कुमार @रोनी के कब्जे से लेंस के साथ लूटे गए आइटम कैनन कैमरा बरामद किए गए और उस को जब्ती ज्ञापन के माध्यम से पुलिस के कब्जे में ले लिया गया।

6. एक कलाई घड़ी ने तिसोर 1853 को चांदी का रंग बनाया, एक कलाई घड़ी ने जीवाश्म, ग्रे रंग और एक लैपटॉप एचपी एस/एन 8 सीजी 6324आरआर 5, याचिकाकर्ता मुद्दसिर @मैडी के कब्जे से बरामद किया और उसी को जब्ती ज्ञापन के माध्यम से पुलिस के कब्जे में ले लिया गया।

7. मैंने याचीगण के फ़ाज़िल अधिवक्ता, राज्य के फ़ाज़िल अधिवक्ता को सुना है और स्थिति आख्या और इस मामले के अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

8. यह याचीगण के फ़ाज़िल अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता अपने शुरुआती 20 में युवा व्यक्ति हैं और उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। बरामदगी पहले ही प्रभावित हो चुकी है। सह-अभियुक्त में से दो पहले से ही जमानत पर हैं।शिकायत करने में देरी हो रही है और पीसीआर कॉल करने में 10 घंटे की देरी भी है।

9. दूसरी ओर, राज्य के फाजिल अति. लो. अभि. द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि शुरू में मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 392/419/34 के अंतर्गत दर्ज किया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 395 को बाद में जोड़ा गया था और आरोप अब गंभीर हो गए हैं क्योंकि शिकायतकर्ता के कार्यालय में आधी रात

को एक डकैती हुई है।उन्होंने आगे कहा कि याचीगण ने खुद को अपराध शाखा के अधिकारियों के रूप में पेश किया और फिर प्राथमिकी में उल्लिखित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की डकैती की। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता पहले ही सत्र न्यायालय के समक्ष लगभग 4 जमानत आवेदन कर चुके हैं जिन्हें पहले ही खारिज कर दिया गया है।उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता दो अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं जिन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं का मामला उन दो सह-अभियुक्त व्यक्तियों से अलग है| आगे फाजिल अति. लो. अभि. द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचीगण से बरामद सभी वस्तुओं की पहचान शिनाख्त परीक्षण के दौरान की गई है।

10. वर्तमान मामले में, याचीगण के खिलाफ डकैती के आरोप हैं जो उन्होंने रात के शुरुआती घंटों में खुद को अपराध शाखा के अधिकारियों के रूप में बताते हुए किए थे| याचिकाकर्ता मंजीत कुमार @रोनी यानी कैनन से लेंस कैमरा और याचिकाकर्ता मुद्दसिर @मैडी से तिस्सर 1853 का सिल्वर रंग के एक कलाई घड़ी बरामद किए गए वस्तुओं, फॉसिल की एक कलाई घड़ी ग्रे रंग की और एक लैपटॉप एचपी एस/एन 8CG6324R5 की पहचान शिकायतकर्ता द्वारा की गई जब इन वस्तुओं की शिनाख्त परेड की कार्यवाही की गई । याचीगण के पास डकैती करते समय खुद को अपराध शाखा के अधिकारियों को खड़ा करने का दुस्साहस है, इसलिए जब

याचिकाकर्ताओं का ऐसा साहस है, तो मेरी राय में, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में या गवाहों को धमकी देने की स्थिति में नहीं होंगे। सार्वजनिक गवाहों की जांच होनी बाकी है। इसलिए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए, जमानत के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है।इसलिए दोनों जमानत अर्जी खारिज कर दी गई हैं।

11. यहाँ ऊपर वर्णित कुछ भी इस मामले के गुणों पर किसी भी राय की अभिव्यक्ति के बराबर नहीं होगा।

न्या. रजनीश भटनागर

अगस्त 27,2021
सुमंत

(SUVAS :Translation has been done through AI Tool)

अस्वीकरण *:देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा |समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु आदेश का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|*